BHARAT ELECTRONICS LIMITED
CORPORATE OFFICE
OUTER RING ROAD, NAGAVARA, BANGALORE

का.आ.सं. **Office Order No. HO/066/011** दिनांक / **Date: 28.03.2023**

विषय - कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति
Sub: Corporate Social Responsibility Policy
संदर्भ - कार्यालय आदेश सं. प्रका/066/008 दिनांक 31.03.2021 (यथा संशोधित)
Ref: Office Order NO. HO/066/008 dated 31.03.2021 (as amended).

-o0o-

1.0 परिचय /Introduction:

1.1 कार्पोरेट सामाजिक दायित्व से आशय विभिन्न कारोबारी कार्यकलापों में मुख्य भागीदारों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक रूप से उत्तरदायी ढंग से कारोबार संचालित करने से है।
Corporate Social Responsibility (CSR) is about conducting business in a socially responsible way, keeping the needs and expectations of the key stakeholders in focus in various business activities.

1.2 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने अपनी अधिसूचना दिनांक 27-02-2014 द्वारा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 जारी किया है जो दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से लागू हुए हैं। इसके अलावा, एम.सी.ए. ने अपनी अधिसूचना दिनांक 22-01-2021 द्वारा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 जारी किया है जो दिनांक 22 जनवरी, 2021 से लागू हुए हैं। केंद्र सरकार का उद्यम होने के नाते ये नियम बीईएल पर लागू होते हैं।
Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide Notification Dt: 27-02-2014 brought out the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 which has come into force from 1st April, 2014. Further, MCA has vide Notification Dt. 22-01-2021 brought out the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 which has come into force from 22nd January, 2021. These Rules are applicable to BEL being a Central Public Sector Enterprise.

1.3 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्रों में विभिन्न पहल करने में सक्रिय रही है।
Bharat Electronics Ltd (BEL) is proactive in taking various initiatives in the areas of Corporate Social Responsibility.

1.4 इस कार्यालय आदेश में वर्णित उक्त सी.एस.आर. नीति कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135 और अनुसूची VII) और उसके संशोधन, कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) के संशोधित नियम, 2021 और डी.पी.ई. के दिशा-निर्देश पर आधारित है। उक्त नियमों / दिशा-निर्देशों में किए जाने वाले अनुवर्ती परिवर्तनों को इस कार्यालय आदेश में विधिवत् शामिल किया जाएगा।
The CSR Policy enumerated in this Office Order is based on the Companies Act, 2013 (Section 135 & Schedule VII) and amendments thereof, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 and Government Guidelines. Any subsequent amendment to the above Rules/Guidelines shall be duly incorporated in this Office Order.

2.0 नीति कथन /Policy Statement:

2.1 बीईएल एक कार्पोरेट स्वत्व के रूप में अपनी भूमिका और दायित्वों को समझती है और ऐसे समुदायों के सामाजिक व आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने का निरंतर प्रयास करती है जिसमें वह सी.एस.आर. पहलों के माध्यम से संचालन करती है।
BEL recognizes its role and responsibility as a corporate entity and constantly endeavors to actively participate in the social and economic development of the communities in which it operates through CSR initiatives.

2.2 बीईएल अपने सी.एस.आर. संबंधी कार्यकलापों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय ढंग से करने के लिए, जो पारदर्शी और नैतिक हैं, अपने पणधारकों को लिए प्रतिबद्ध है।
BEL is committed to its stakeholders to conduct CSR activities in an economically, socially and environmentally sustainable manner that is transparent and ethical.

2.3 सी.एस.आर. संबंधी कार्यकलापों में ऐसी पहल शामिल होंगे जो संधारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर लक्षित हैं।
CSR activities shall include initiatives which aim at achieving sustainable development goals.

3.0 उद्देश्य / Objectives:

3.1 विभिन्न परिवेशों की पहचान करने और समाधान प्रस्तुत करने तथा प्रौद्योगिकी आवर्धिक करने की बीईएल की क्षमता का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय परितंत्र जिनमें बीईएल कार्यरत है, में अभिचिह्नित समस्याओं को दूर करने में किया जाएगा।
BEL's capacity to identify and provide solutions in diverse environments, leveraging technology, will be used to address identified issues in the social, economic and environmental ecosystem that the company operates in.

3.2 प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं / संगोष्ठियों आदि द्वारा संगठन में सी.एस.आर. और संधारणीयता पर जागरूकता पैदा करना।
Creating awareness on CSR within the organization through trainings / workshops / seminars etc.

3.3 क्षमता निर्माण के उपाय, गरीब और निचले तबके के वर्गों / समुदायों के सशक्तीकरण द्वारा समाज में समावेशी विकास, सतत् और साम्या विकास के प्रति योगदान देना।
Contributing to inclusive growth, sustained and equitable development in society through capacity building measures, empowerment of the marginalized and underprivileged sections / communities.

4.0 कार्यक्षेत्र / Scope:

4.1 कंपनी की सी.एस.आर. पहल से समाज की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए चुनी गई परियोजनाएँ कंपनी की कारोबारी यूनिटों के आसपास पूरी की जाएँगी तथा / या अन्य पिछड़े क्षेत्र जैसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित देश के आकांक्षी जिलों में पूरी की जाएँगी।
The CSR initiatives of the company shall address social, economic and environmental concerns of the society. The projects undertaken to address these concerns shall either be in the vicinity of company's business Units and/or other backward areas, such as Aspirational districts, of the country as defined by the Government of India.

4.2 विशेष मामलों में, जहाँ ऐसी परियोजनाएँ पर्यावरण या समाज के अधिक व्यापक लोगों पर उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, वहाँ उपर्युक्त पैरा 4.1 में की गई अपेक्षाओं के तहत शामिल न होने पर भी ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने पर विचार किया जा सकता है ।
In special cases, where the projects have a potential to make significant positive impact on the environment or lives of a larger society, such projects may be considered even though they may not be covered under the requirements of Clause 4.1 above.

5.0 परिभाषाएँ / Definitions:

5.1 "कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)" से आशय कंपनी (सी.एस.आर. नीति) नियम में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 में निर्धारित इसके संवैधानिक दायित्वों के तारतम्य में कंपनी द्वारा किए गए

कार्यकलापों से है, परंतु इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, नामत:-

"Corporate Social Responsibility (CSR)" means the activities undertaken by the Company in pursuance of its statutory obligation laid down in Section 135 of the Act in accordance with the provisions contained in the Companies (CSR Policy) Rules, but shall not include the following, namely: -

(i) कंपनी के सामान्य कारोबार के अनुसरण में किए जाने वाले कार्यकलाप;
activities undertaken in pursuance of normal course of business of the company;

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या संघीय प्रांत अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण को छोड़कर कंपनी द्वारा भारत से बाहर किए गए कार्य;
any activity undertaken by the company outside India except for training of Indian sports personnel representing any State or Union territory at national level or India at international level;

(iii) अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी राजनैतिक दल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी राशि का अंशदान;
contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act;

(iv) वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (के) में यथा परिभाषित, कंपनी के कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाले कार्य;
activities benefitting employees of the company as defined in clause (k) of section 2 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

(v) कंपनी द्वारा अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन अनुलाभ प्राप्त करने हेतु प्रायोजन आधार पर समर्थित कार्यकलाप;
activities supported by the companies on sponsorship basis for deriving marketing benefits for its products or services;

(vi) भारत में लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए कार्यकलाप;
activities carried out for fulfillment of any other statutory obligations under any law in force in India.

5.2 "सी.एस.आर." से आशय अधिनियम की धारा **135** में संदर्भित मंडल की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति से है।
"CSR Committee" means the Corporate Social Responsibility Committee of the Board referred to in Section 135 of the Act.

5.3 "चालू परियोजना" से आशय कंपनी द्वारा अपने सी.एस.आर. दायित्वों को पूरा करने में ली गई बहु-वर्षीय ऐसी परियोजना से है जिसकी समय-सीमा वित्तीय वर्ष जिसमें वह शुरु की गई है, को छोड़कर तीन वर्षों से अधिक की नहीं है और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जो प्रारंभ में बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं थी परंतु जिसकी समय-अवधि को उचित कारण देते हुए मंडल द्वारा एक वर्ष से अधिक की समय-अवधि तक बढ़ाया गया है।
"Ongoing Project" means a multi-year project undertaken by the Company in fulfillment of its CSR obligation having timelines not exceeding three years excluding the financial year in which it was commenced, and shall include such project that was initially not approved as a multi-year project but whose duration has been extended beyond one year by the Board based on reasonable justification.

5.4 "प्रशासनिक ऊपरीव्यय" से आशय ऐसे व्यय से है जो कंपनी द्वारा कंपनी में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यों के 'सामान्य प्रबंधन एवं प्रशासन' के लिए किए जाते हैं परंतु इनमें ऐसे व्यय शामिल नहीं होंगे जो किसी विशेष कार्पोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना या प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग, कार्यान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं।

"Administrative overheads" means the expenses incurred by the company for 'general management and administration' of Corporate Social Responsibility functions in the company but shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring, and evaluation of a particular Corporate Social Responsibility project or programme.

6.0 पहल के क्षेत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और उसके संशोधन के अनुसार)- Areas of Initiatives (in line with Schedule VII of Companies Act, 2013 & amendments thereof):

6.1 बीईएल निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में सी.एस.आर. की पहल करेगी –
BEL shall take up CSR initiatives in the following broad areas:

6.1.1 भूखमरी, गरीबी और कुपोषण मिटाना, निवारणात्मक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाना और साफ-सफाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोश के प्रति योगदान सहित स्वच्छता बढ़ाना और सुरक्षित पेयजल मुहय्या कराना;
Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care including preventive health care and sanitation, including contribution to the Swachh Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water;

6.1.2 विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाले रोजगार बढ़ाना, विशेषकर बच्चों, महिलाओं, अधेड़ और दिव्यांग लोगों के लिए और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएँ;
Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently-abled and livelihood enhancement projects;

6.1.3 लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए अनाथालय और छात्रावास संस्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर केंद्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएँ संस्थापित करना और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना की जा रही विसंगतियों को कम करने के उपाय करना;
Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans, setting up old age homes, day care centers and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;

6.1.4 पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना, वनस्पति और जीव-जंतुओं की रक्षा करना, प्राणी कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और गंगा नदी के पुनरोद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि के प्रति योगदान सहित मिट्टी, हवा और पानी की गुणता बनाए रखना;
Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro-forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water, including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga;

6.1.5 ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और स्थलों के जीर्णोद्धार सहित प्राकृतिक विरासत और कलाकृतियों का संरक्षण करना, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास करना;
Protection of natural heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art, setting up public libraries, promotion and development of traditional arts and handicrafts;

6.1.6 सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों, युद्धजनित विधवाओं और उनके आश्रितों के हितार्थ उपाय करना; केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) तथा केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं सहित उनके आश्रितों के हितार्थ उपाय करना;

Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents; Central Armed Police Forces (CAPF) and Central Para Military Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widows;

6.1.7 ग्रामीण खेलकूद, राष्ट्रीय खेलों, पैरालिम्पिक खेलों और ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना; Training to promote rural sports, nationally recognized sports, Paralympic sports and Olympic sports;

6.1.8 प्रधान मंत्री राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात परिस्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स निधि) या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत एवं कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान देना; Contribution to the Prime Minister's Relief Fund or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;

6.1.9 (a) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त-पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी या चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए योगदान; तथा

Contribution to incubators or Research and Development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government; and

(b) सरकार द्वारा वित्त-पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.); राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के तहत संस्थापित स्वशासी निकाय; जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.); विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); भैषज विभाग – आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होमियोपैथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य निकाय जैसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) को अंशदान जो संधारणीय विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को संवर्धित करने पर लक्षित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा में अनुसंधान कार्य करने में लगे हैं।
Contributions to public funded Universities; Indian Institute of Technology (IITs); National Laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy (DAE); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Department of Pharmaceuticals; Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defense Research and Development Organisation (DRDO); Indian Council of Agricultural Research (ICAR); Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs).

6.1.10 ग्रामीण विकास परियोजनाएँ / Rural Development Projects;

6.1.11 गंदी बस्ती का विकास / Slum area development;

उदाहरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ, पदबंध 'गंदी बस्ती' से आशय ऐसे क्षेत्र से होगा जिसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या वर्तमान में लागू किसी विधि के तहत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
Explanation - For the purpose of this item, the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force.

6.1.12 आपदा प्रबंधन जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण संबंधी कार्य शामिल हैं।
Disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.

6.2 उक्त क्षेत्रों में की जाने वाली पहलों का चयन क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तीकरण, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित व ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास और समाज के गरीब और निचले तबके के उत्थान पर लक्षित होगा।
The selection of the initiatives in above areas will be aimed towards capacity building, empowerment of communities, inclusive socio-economic growth, environment protection, promotion of green and energy efficient technologies, development of backward regions and upliftment of the marginalized and under-privileged sections of the society.

6.3 वैयक्तिक प्रस्तावों के गुणावगुण के आधार पर कंपनी अन्य क्षेत्रों में भी की जाने वाली सीएसआर पहलों को स्वीकार करने पर निर्णय ले सकती है।
The Company may decide to take up CSR initiatives in other areas also based on the merit of individual proposals.

7.0 <u>सीएसआर कार्यकलाप संबंधी दिशा-निर्देश / Guidelines for CSR Activities:</u>

7.1 <u>कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके संशोधन</u>
<u>The Companies Act, 2013 and amendments thereof</u>:

7.1.1 <u>सी.एस.आर. निधि प्रबंधन</u> -
<u>CSR Fund Management:</u>

7.1.1.1 मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपनी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करती है।
The Board shall ensure that the Company spends, in every Financial Year, at least 2% of average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy:

बशर्ते कि कंपनी सी.एस.आर. कार्यकलापों के लिए चिह्नित राशि को खर्च करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और इसके प्रचालन के आसपास के क्षेत्रों को वरीयता देगी।
Provided that the Company shall give preference to the local area and areas around it where it operates for spending the amount earmarked for CSR activities:

इसके अलावा इस शर्त पर कि यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल होती है तो मंडल अपनी रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारणों का उल्लेख करेगा जब तक कि ऐसी खर्च न की गई राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित है, और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीनों की अवधि के भीतर, अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि को अंतरित करेगा।
Provided further if the Company fails to spend such amount, the Board shall, in its report, specify the reasons for not spending the amount, and unless the unspent amount relates to any ongoing project, transfer such unspent amount to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.

7.1.1.2 कंपनी द्वारा अपनी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार, किसी निर्धारित शर्तों को पूरा करने में किसी चालू परियोजना के तारतम्य में, खर्च करने के लिए शेष कोई राशि वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों के भीतर कंपनी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में जिसे खर्च न किया गया कार्पोरेट सामाजिक दायित्व खाता कहा जाएगा, उस वित्तीय वर्ष के लिए इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा खोले गए एक विशेष खाते को अंतरित कर दिया जाएगा और ऐसी राशि ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में कंपनी द्वारा खर्च की जाएगा अन्यथा कंपनी तृतीय वित्तीय वर्ष पूरा होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर, अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि को अंतरित कर दी जाएगी।
Any amount remaining unspent, pursuant to any ongoing project, fulfilling such

conditions as may be prescribed, undertaken by the company in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy, shall be transferred by the company within a period of thirty days from the end of the financial year to a special account to be opened by the company in that behalf for that financial year in any scheduled bank to be called the Unspent Corporate Social Responsibility Account, and such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards the Corporate Social Responsibility Policy within a period of three financial years from the date of such transfer, failing which, the company shall transfer the same to a Fund specified in Schedule VII, within a period of thirty days from the date of completion of the third financial year.

7.2 कंपनी (सी.एस.आर. नीति) नियम, 2014 एवं कंपनी (सी.एस.आर. नीति) संशोधन नियम, 2021 - Companies (CSR Policy) Rules, 2014 & Companies (CSR Policy) Amendment Rules, 2021:

7.2.1 सी.एस.आर. कार्यान्वयन / CSR Implementation:

7.2.1.1 सी.एस.आर. कार्यकलाप कंपनी द्वारा स्वयं किए जाएँगे या इनके माध्यम से किए जाएँगे -
The CSR activities are to be undertaken by the Company itself or through, -

(a) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी जो **धारा 10 के खंड 23सी के उप खंड (iv), (v), (vi) या (via) के तहत छूट प्राप्त है** या धारा 12ए के तहत पंजीकृत है तथा आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के 80जी के तहत **अनुमोदित** है जो एकल रूप से या किसी अन्य कंपनी के साथ कंपनी द्वारा स्थापित है।
a company established under Section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, **exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10** or registered under section 12A and **approved under** 80G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), established by the company, either singly or along with any other company; or

(b) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी; या
a company established under Section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State government; or

(c) संसद या किसी राज्य विधान के अधिनियम द्वारा स्थापित कोई स्वत्व; या
any entity established under an Act of Parliament or State legislature; or

(d) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी जो **धारा 10 के खंड 23सी के उप खंड (iv), (v), (vi) या (via) के तहत छूट प्राप्त है** या धारा 12ए के तहत पंजीकृत है तथा आय कर अधिनियम, 1961 के 80जी के तहत **अनुमोदित** है और जिसका इसी प्रकार के कार्यकलाप करने का पिछले कम से कम तीन वर्षों का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है।
a company established under Section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, **exempted under sub-clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10** or registered under section 12A and **approved under** 80G of the Income Tax Act, 1961, and having an established track record of at least three years in undertaking similar activities.

स्पष्टीकरण- खंड सी के प्रयोजनार्थ, शब्द "संस्था" से आशय अधिनियम की अनुसूची **VII** में निर्दिष्ट कार्य करने के लिए संसद के अधिनियम या राज्य विधान के तहत गठित सांविधिक निकाय से है।
Explanation - For the purpose of clause (c), the term "entity" shall mean a

statutory body constituted under an Act of Parliament or State legislature to undertake activities covered in Schedule VII of the Act.

7.2.1.2 कंपनी अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. परियोजनाओं या प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग, निगरानी और मूल्यांकन के लिए और साथ ही, सी.एस.आर. के लिए अपने कार्मिकों का क्षमता निर्माण करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नियोजित कर सकती है।
The Company may engage international organizations notified by the Central Government under section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), for designing, monitoring and evaluation of the CSR projects or programmes as per its CSR policy as well as for capacity building of their own personnel for CSR.

7.2.1.3 कंपनी परियोजनाओं या प्रोग्राम या सी.एस.आर. कार्यकलाप इस प्रकार कार्यान्वित करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ सहयोग भी कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सी.एस.आर. समितियाँ इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या प्रोग्राम पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।
The Company may also collaborate with other companies for undertaking projects or programmes or CSR activities in such a manner that the CSR Committees of respective companies are in a position to report separately on such projects or programmes in accordance with these rules.

7.2.1.4 कंपनी का मंडल इस बात पर स्वयं को संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और ढंग से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी व्यक्ति इस आशय का प्रमाणन करेगा।
The Board of the Company shall satisfy itself that the funds so disbursed have been utilized for the purposes and in the manner as approved by it and the Chief Financial Officer or the person responsible for financial management shall certify to the effect.

7.2.1.5 चालू परियोजना के मामले में, कंपनी का मंडल अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र स्वीकार्य समय-अवधि के भीतर परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, करने में सक्षम होगा।
In case of ongoing project, the Board of the Company shall monitor the implementation of the project with reference to the approved timelines and year-wise allocation and shall be competent to make modifications, if any, for smooth implementation of the project within the overall permissible time period.

7.2.2 <u>सी.एस.आर. समितियाँ / CSR Committees:</u>

सी.एस.आर. समिति अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और उसकी संस्तुति मंडल को करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे –
The CSR Committee shall formulate and recommend to the Board, an annual action plan in pursuance of its CSR policy, which shall include the following, namely: -

(i) सी.एस.आर. परियोजनाओं या प्रोग्रामों की सूची जो अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में किए जाने के लिए अनुमोदित हैं;
the list of CSR projects or programmes that are approved to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule VII of the Act;
(ii) ऐसी परियोजनाओं या प्रोग्रामों के निष्पादन का तरीका;
the manner of execution of such projects or programmes;
(iii) निधियों का उपयोग करने की कार्यप्रणाली और परियोजनाओं या प्रोग्रामों के कार्यान्वयन की अनुसूची;
the modalities of utilisation of funds and implementation schedules for the projects or programmes;

(iv) परियोजनाओं या प्रोग्रामों की निगरानी और रिपोर्टिंग करने की कार्यप्रणाली; तथा
monitoring and reporting mechanism for the projects or programmes; and

(v) कंपनी द्वारा ली गई परियोजनाओं की आवश्यकता और प्रभाव, यदि कोई हो, के विवरण -
details of need and impact assessment, if any, for the projects undertaken by the company:

परंतुक यह कि मंडल अपनी सी.एस.आर. समिति की सिफारिशों के अनुसार, इस आशय के उचित कारण के आधार पर, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना में संशोधन कर सकता है।
Provided that the Board may alter such plan at any time during the financial year, as per the recommendation of its CSR Committee, based on the reasonable justification to that effect.

7.2.3 <u>सी.एस.आर. व्यय / CSR Expenditure:</u>

7.2.3.1 प्रशासनिक ऊपरीव्यय वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सी.एस.आर. व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
The administrative overheads shall not exceed five percent of total CSR expenditure of the company for the financial year.

7.2.3.2 सी.एस.आर. कार्यकलापों के कारण सृजित अधिशेष राशि कंपनी के कारोबारी लाभ का हिस्सा नहीं बनेगी और उसका उपयोग उसी परियोजना में वापस किया जाएगा या उसे खर्च न की गए सी.एस.आर. खाते में अंतरित किया जाएगा और सी.एस.आर. नीति तथा कंपनी की वार्षिक कार्य योजना के तारतम्य में खर्च किया जाएगा अथवा ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीनों के भीतर, अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित किया जाएगा।
Any surplus arising out of the CSR activities shall not form part of the business profit of the company and shall be ploughed back into the same project or shall be transferred to the Unspent CSR Account and spent in pursuance of CSR policy and annual action plan of the company or transfer such surplus amount to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.

7.2.3.3 यदि कंपनी खंड **7.1.1** में उल्लिखित आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है तो ऐसी अतिरिक्त राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उत्तरवर्ती तीन वित्तीय वर्षों तक खर्च करने की आवश्यकता के समक्ष समायोजित की जाएगी –
Where the company spends an amount in excess of requirement mentioned in Clause 7.1.1, such excess amount may be set off against the requirement to spend upto immediate succeeding three financial years subject to the conditions that –

(i) समायोजन के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में सी.एस.आर. कार्यकलापों के कारण सृजित अधिशेष राशि शामिल नहीं की जाएगी।
the excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of the CSR activities.

(ii) कंपनी का मंडल इस आशय के लिए संकल्प पारित करेगा।
The Board of the company shall pass a resolution to that effect.

7.2.3.4 सी.एस.आर. की राशि कंपनी द्वारा पूँजी परिसंपत्ति सृजित करने या अर्जित करने के लिए की जाएगी जिसे निम्नलिखित द्वारा धारित किया जाएगा –
The CSR amount may be spent by the company for creation or acquisition of a capital asset, which shall be held by –

(i) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसाइटी जिसका धर्मार्थ उद्देश्य हो और सी.एस.आर. पंजीकरण संख्या हो

a company established under section 8 of the Act, or a Registered Public Trust or Registered Society, having charitable objects and CSR Registration Number

(ii) स्व-मदद समूह, सामूहिक, स्वत्वों के रूप में उक्त सी.एस.आर. परियोजना के हितलाभी; या
Beneficiaries of the said CSR project, in the form of self-help groups, collectives, entities; or

(iii) सार्वजनिक प्राधिकारी / a public authority.

7.2.4 <u>सी.एस.आर. की रिपोर्टिंग और प्रकटण / CSR Reporting & Disclosures:</u>

7.2.4.1 कंपनी सी.एस.आर. की ऐसी परियोजनाओं का किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन करवाएगी जिनका परिव्यय एक करोड़ रुपए या उससे अधिक का है और जिसे प्रभाव अध्ययन कराने से पहले एक वर्ष से कम समय में पूरा किया गया है।
The Company shall undertake impact assessment, through an independent agency, of its CSR projects having outlays of one crore rupees or more, and which have been completed not less than one year before undertaking the impact study.

प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट मंडल के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे सी.एस.आर. की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।
The impact assessment reports shall be placed before the Board and shall be annexed to the annual report on CSR.

प्रभाव मूल्यांकन पर किए गए व्यय को उस वित्तीय वर्ष के लिए सी.एस.आर. व्यय के रूप में दिखाया जाएगा और ऐसा व्यय उस वित्तीय वर्ष के कुल सी.एस.आर. व्यय के **दो प्रतिशत** या पचास लाख रुपए, इनमें से जो भी **अधिक** हो, होगा।
The expenditure incurred towards impact assessment may be booked as CSR expenditure for that financial year and shall not exceed **two percent** of the total CSR expenditure for that financial year or fifty lakh rupees, whichever is **higher**.

7.2.4.2 कंपनी का मंडल सी.एस.आर. समिति का संघटन तथा मंडल द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर. नीति व परियोजनाएँ सार्वजनिक के लिए वेबसाइट पर प्रकट किए जाएंगे।
The Board of the Company shall disclose the composition of the CSR Committee and CSR Policy and Projects approved by the Board on the website, for public access.

8.0 <u>संगठनात्मक संरचना और संवैधानिक अनुपालन –</u> <u>**Organization Structure & statutory compliances :**</u>

8.1 नीचे दिए गए अनुसार दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना कंपनी की सी.एस.आर. पहलों को निर्देशित करेगी –
A two-tier organization structure, as given below, shall steer the CSR initiatives in the company.

(i) निदेशक मंडल / Board of Directors
(ii) मंडल की सी.एस.आर. समिति /CSR Committee of the Board

मंडल की सी.एस.आर. समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (समिति के अध्यक्ष के रूप में), निदेशक (वित्त), और मुख्य वित्त अधिकारी, निदेशक (एच.आर.), निदेशक (अन्य यूनिटें) और एक स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य होंगे और कंपनी सचिव समिति के सचिव होंगे।
The CSR Committee of the Board shall consist of Chairman & Managing Director (as Chairman of the Committee), Director (Finance) & Chief Financial Officer, Director (HR), Director (Other Units) & One Independent Director as its members with the Company Secretary as the Secretary to the Committee.

8.2 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक इस दस्तावेज में दिए ए दिशा-निर्देशों के अनुसार सी.एस.आर. के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे और सभी मूल्यांकित सी.एस.आर. प्रस्तावों को मंडल की सी.एस.आर. समिति के समक्ष उसकी समीक्षा,

विचार करने और संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रखेंगे। मंडल की सी.एस.आर. समिति द्वारा संस्तुत सी.एस.आर. परियोजनाएँ निदेशक मंडल के समक्ष उसके अनुमोदन के ले रखी जाएँगी।
The Chairman & Managing Director may evaluate the CSR proposals as per the guidelines given in this document & shall place all the evaluated CSR Proposals to CSR Committee of the Board for its review, consideration & for ensuring compliance with the statutory requirements. The CSR Projects recommended by the CSR Committee of the Board shall be put up to the Board of Directors for approval.

8.3 कंपनी अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी अनुपालन प्रबंधन के उद्देश्य से, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ की अध्यक्षता में, एक स्वतंत्र निदेशक (जो मंडल की सीएसआर समिति के सदस्य है) और कंपनी सचिव को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए एक निगरानी समिति गठित की जाएगी और उक्त समिति अपेक्षित सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कंपनी की अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी करेगी। निगरानी समिति समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर अन्य सदस्यों सहयोजित कर सकती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक इस निगरानी समिति द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों का निदेश दे सकते हैं।
For the purpose of effective compliance management in terms of the Companies Act, a Monitoring Committee will be constituted under the Chairmanship of Director (Finance) & CFO, one Independent Director (who is member of CSR Committee of the Board) and Company Secretary as its Members and the said Committee shall monitor all activities pertaining to the approved CSR projects of the Company for the purpose of ensuring requisite statutory compliances. The monitoring Committee may co-opt other members based on the requirement from time to time. The Chairman & Managing Director may direct for any other functions to be performed by the Monitoring Committee.

8.4 वित्तीय वर्ष से संबंधित मंडल की रिपोर्ट में सी.एस.आर. पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल की जाएगी जिसमें इस नीति के **अनुलग्नक-1** (संबंधित संलग्नकों के साथ) में निर्दिष्ट विवरण, लागू होने की सीमा तक, होंगे।
The Board's Report pertaining to a Financial Year shall include an annual report on CSR, containing particulars as specified in the **Annexure-1** (along with enclosures) to this policy, to the extent, as may be applicable.

8.5 निदेशक (एच.आर.), निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव प्रधान अधिकारी होंगे जो कंपनी की सी.एस.आर. कार्यसूची को कार्यान्वित करने संबंधी सभी संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
Director (HR), Director (Finance) & Chief Financial Officer and Company Secretary will be the principal officers who shall be responsible for ensuring requisite compliance with all the statutory requirements in implementing the CSR agenda of the Company.

9.0 बजट / Budget:

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, सीएसआर खर्च का बजटीय आवंटन पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभों का कम से कम 2% होगा। औसत निवल लाभ का परिकलन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इस बजटीय आवंटन का अनुमोदन मंडल की सी.एस.आर. समिति की सिफारिश पर मंडल द्वारा किया जाएगा। कंपनी सी.एस.आर. कार्यकलापों पर अपने व्यय को अधिकतम करने का हरसंभव प्रयास करेगी।
In every Financial Year, the budgetary allocation for CSR expenditure shall be at least 2% of average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years. 'The average Net profit' shall be calculated in accordance with the provision of Section 198 of the Companies Act, 2013 and amendments thereof. This budgetary allocation will need to be approved by the Board on recommendation of CSR Committee of the Board. The company shall strive to maximize its spending on CSR activities.

10.0 परियोजना का प्रस्ताव (अनुलग्नक – 2) / Project Proposal (Annexure-2):

10.1 बजट का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने और सीएसआर कार्यकलापों के दिखने वाले और उल्लेखनीय प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए, बीईएल अपेक्षाकृत ऐसी कम परियोजनाओं पर ध्यान देगी जो अपने आकार और प्रभाव के संदर्भ में मापनीय हैं।
In order to utilize the budget judiciously and ensure the visibility and noticeable impact of the CSR activities, BEL would focus on projects, which are scalable in terms of their size and impact.

10.2 परियोजनाओं का चुनाव वरीयतः कंपनी के सी.एस.आर. कार्यों से लाभान्वित होने वाले पणधारकों की अभिचिह्नित आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा। सभी मामलों में आधारभूत सर्वेक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि आंतरिक रूप से किए गए मूल्यांकन अध्ययन या किसी दूसरे स्रोत जिसे विश्वसनीय माना जाए, की रिपोर्ट के माध्यम से पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हों।
The choice of projects will preferably be based on the identified needs of the stakeholders likely to be benefited from company's CSR activities. Baseline survey may be carried out for projects which are scalable in terms of their size and impact. Baseline survey need not be resorted to in all cases provided there is enough documentary evidence for having got the need assessment study done either internally or through reports from secondary source which can be termed as credible.

11.0 परियोजना का निष्पादन / Project Execution:

11.1 सीएसआर परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन सामान्य रूप से संस्थागत टीमों द्वारा या राज्य सरकार, पीएसयू, एनजीओ, निजी कंपनियों के साथ उचित साझेदारी करते हुए किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए बीईएल की जनशक्ति का ही उपयोग किया जाएगा।
Execution of CSR projects can be taken up generally by in-house teams or through suitable partnerships with State Governments, PSUs, NGOs, Private Companies, International Organisations. As far as possible, BEL's manpower should be committed only for monitoring and supervision.

11.2 बाहरी एजेंसियों को नियुक्त करते समय / के साथ साझेदारी करते समय, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि केवल ऐसी विशिष्ट एजेंसियों का चयन किया जाए जिनके पास संबंधित क्षेत्र की आवश्यक सक्षमताएँ और विशेषज्ञता हो। ऐसी विशिष्ट एजेंसियों में सरकारी विभाग, अर्ध-सरकारी या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), स्वशासी संगठन, पेशेवर सलाहकार संगठन, पंजीकृत ट्रस्ट / मिशन, समुदाय आधारित संगठन, सेल्फ-हेल्प ग्रुप, अलाभार्थ संगठन, पंचायती राज संस्थान, शैक्षिक संस्थान, अंतरराष्ट्रीय संगठन आदि शामिल हो सकते हैं।
While engaging / partnering with external agencies, care shall be exercised in selecting only such specialized agencies which have the necessary capabilities and expertise in the field. Specialized agencies may include Government departments, semi-Government or Non-Government Organizations (NGOs), autonomous organizations, professional consultancy organizations, registered Trusts/Missions, Community based organizations, self-help groups, not for profit organizations, Panchayati Raj institutions, academic institutes, International Organisations etc.

12.0 संप्रेषण की रणनीति / Communication Strategy:

12.1 कंपनी अपने प्रमुख भागीदारों के साथ नियमित संवाद करेगी और उनसे परामर्श करेगी ताकि सीएसआर परियोजनाओं के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में उनके विचार और प्राथमिकताओं को जाना जा सके।
Company shall establish regular dialogue and consultation with its key stakeholders to ascertain their views and priorities regarding the selection and implementation of CSR Projects.

12.2 सीएसआर के क्षेत्र में परियोजना शुरु करने, परियोजना पूरा करने या किसी सुविधा का उद्घाटन करने जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान, कार्पोरेट संप्रेषण प्रभाग मीडिया कार्मिकों को आमंत्रित करते हुए और प्रिंट मीडिया,

टीवी चैनलों आदि में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।
During important events such as launching a project, completion of a project or inauguration of a facility in the area of CSR, Corporate Communications Division shall give wide publicity to the event through invitation to the media personnel and issue of press release in the print media, TV channels etc.

12.3 कंपनी अपने नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाओं आदि के ज़रिए सीएसआर एवं एसडी पहलों के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें इनके प्रति संवेदनशील बनाने के कदम उठाएगी।
Company shall take steps to create awareness and sensitize employees on CSR initiatives through regular training, workshops etc.

12.4 कंपनी की सीएसआर पहल कार्पोरेट संप्रेषण प्रभाग द्वारा कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
The CSR initiatives of the company shall be displayed on the company's website by the Corporate Communications Division.

12.5 कार्पोरेट संप्रेषण प्रभाग कार्पोरेट गृह पत्रिका में कंपनी की सीएसआर पहलों के बारे में विशेष लेख प्रकाशित करेगा।
Corporate Communications Division shall also bring out special articles on CSR initiatives of the company in the Corporate House Journal.

12.6 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सीएसआर संबंधी सभी कार्यकलापों का प्रकटण अनिवार्य है। तदनुसार, कंपनी की सीएसआर पहल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाएगी।
As per Companies Act, 2013 disclosure of all CSR activities is mandatory. Accordingly, the CSR initiatives of the company shall be included in the Annual Report of the company.

13.0 अनुप्रयोज्यता / Applicability:

यह नीति तत्काल रूप से प्रभावी होते हुए लागू होगी और यह "कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति" जिसे कार्यालय आदेश सं. प्रका/066/008 दिनांक 31.03.2021 द्वारा जारी किया गया था, पर विद्यमान नीति को अधिक्रमित करती है।
This Policy will come into force with immediate effect and will supersede the existing Policy on "Corporate Social Responsibility Policy" which was issued vide OO No. HO/066/008 dated 31.03.2021.

28/03/23
महाप्रबंधक (एच.आर.)
GENERAL MANAGER (HR)

ई.डी./जी.एम./सी.टी.ओ./सी.एस. **EDs/ GMs/ CTOs/ CS**
यूनिट एच.आर./ वित्त प्रमुख **UNIT HR / FINANCE HEADS**
आर.ओ. / एम.सी. प्रमुख **RO / MC HEADS**

सीएमडी	डी(बीसी)	डी (ओयू)	डी (आर एंड डी)	डी (एफ)	डी (मार्केटिंग)	डी (एचआर)	सीवीओ
CMD	**D(BC)**	**D(OU)**	**D(R&D)**	**D(F)**	**D(MKTG)**	**D(HR)**	**CVO**

अनुलग्नक/ **Annexure-1 to Office Order No. HO/066/011 dated 28.03.2023**

अप्रैल, 2020 के पहले दिन से या उसके बाद शुरु होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए मंडल की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाले सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT FOR FINANCIAL YEAR COMMENCING ON OR AFTER THE 1ST DAY OF APRIL, 2020

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा
   Brief outline on CSR Policy of the Company:

2. सीएसआर समिति का संघटन / Composition of CSR Committee:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की सं.	वर्ष के दौरान उपस्थित सीएसआर समिति की बैठकों की सं.
Sl. No.	**Name of Director**	**Designation / Nature of Directorship**	**Number of meetings of CSR Committee held during the year**	**Number of meetings of CSR Committee attended during the year**

3. ऐसे वेब-लिंक बताएं जहां सीएसआर समिति का संघटन, मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजना कंपनी की वेबसाइट में दी गई है।

   Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

4. नियम 8 के उप-नियम (3) यदि लागू हो, के तारतम्य में की गई सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आंकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यपालक सार दें।
   Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable.

5. (a) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ।
   Average net profit of the company as per sub-section (5) of section135.

   (b) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत।
   Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section135.

   (c) पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या प्रोग्राम या कार्यकलापों से जनित अधिशेष।
   Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years.

   (d) वित्त वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो।
   Amount required to be set-off for the financial year, if any.

(e) वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर देयता[(b)+(c)-(d)].
Total CSR obligation for the financial year[(b)+(c)-(d)].

6. (a) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना तथा चालू परियोजना के इतर, दोनों)
Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project).

(b) प्रशासनिक ऊपरीव्यय में खर्च की गई राशि।
Amount spent in Administrative Over heads.

(c) प्रभाव आकलन, यदि लागू हो, पर खर्च की गई राशि।
Amount spent on Impact Assessment, if applicable.

(d) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुलराशि[(a)+(b)+(c)].
Total amount spent for the Financial Year[(a)+(b)+(c)].

(e) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई और अव्ययित सीएसआर राशि।
CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रु. में) **TotalAmount Spent for the Financial Year. (inRs.)**	अव्ययित राशि (रु. में) **/Amount Unspent (in Rs.)**				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते को अंतरित कुल राशि **Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135.**		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि **Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5)of section 135.**		
	राशि **Amount.**	अंतरण की तारीख **Date of transfer.**	निधि का नाम **Name of the Fund**	राशि **Amount.**	अंतरण की तारीख **Date of transfer.**

(f) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो / Excess amount for set-off, if any:

क्र.सं. **Sl. No.**	विवरण **Particular**	राशि (रु. में) **Amount (in Rs.)**
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत। Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	
(ii)	वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि Total amount spent for the Financial Year	
(iii)	वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि[(ii)-(i)] Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	
(iv)	पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या प्रोग्राम या कार्यकलापों से जनित अधिशेष, यदि कोई हो Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	

(v)	उत्तरवर्ती वित्त वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि[(iii)-(iv)] Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	

7. पिछले तीन वित्त वर्षों में अव्ययित कार्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण

Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र.सं. **Sl. No.**	पिछला वित्त वर्ष **Preceding Financial Year(s)**	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते को अंतरित राशि (रु. में) **Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में) **Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में) **Amount Spent in the Financial Year (in Rs)**	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि **Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub- section (5) of section 135, if any**		उत्तरवर्ती वित्त वर्षों में खर्च करने हेतु शेष राशि (रु. में) **Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)**	कमी, यदि कोई हो **Deficiency, if any**
					राशि (रु. में) Amount (in Rs)	अंतरण की तारीख Date of Transfer		
1	FY-1							
2	FY-2							
3	FY-3							

8. वित्त वर्ष में खर्च की गई कार्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि से क्या कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित या अर्जित की गई-

Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

○ हां / Yes ○ नहीं / No

यदि हां, तो सृजित / अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति की संख्या दर्ज करें

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

वित्त वर्ष में खर्च की गई कार्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि से इस प्रकार सृजित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति से संबंधित विवरण दें -

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

क्र.सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	सृजन की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	संस्था / प्राधिकरण / पंजीकृत स्वामी के हितलाभी का विवरण		
Sl. No.	**Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]**	**Pincode of the property or asset(s)**	**Date of creation**	**Amount of CSR amount spent**	**Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो **CSR Registration Number, if applicable**	नाम **Name**	पंजीकृत पता **Registered address**

(सभी सूचनाएं राजस्व अभिलेखों में दर्शित अनुसार भरे जाएं, फ्लैट नं., मकान नं., नगरपालिका कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत निर्दिष्ट किए जाएं और चारदीवारी के साथ-साथ अचल संपत्ति का क्षेत्रफल भी दर्शाएं।)

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/Gram Panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. यदि कंपनी ने धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च नहीं किया है तो उसके कारण बताएं।

Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub- section (5) of section135.

हस्ता/- (मुख्य कार्यपालन अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	हस्ता/- (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)	हस्ता/- [(धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (डी) में निर्दिष्ट व्यक्ति](जहां कहीं लागू हो)
Sd/- (Chief Executive Officer or Managing Director or Director).	Sd/- (Chairman CSR Committee).	Sd/- [Person specified under clause (d) of sub- section (1) of section 380] (Wherever applicable)."

अनुलग्नक /Annexure – 2 to Office Order No. HO/066/011 dated 28.03.2023

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

परियोजना का प्रस्ताव / PROJECT PROPOSAL

1. यूनिट / कार्यालय का नाम- कार्पोरेट कार्यालय
Name of the Unit / Office: Corporate Office

2. प्रस्तावित सीएसआर परियोजना का शीर्षक (स्थल के साथ) –
Title of the proposed CSR Project (with location):

3. परियोजना के उद्देश्य-
Project Objectives:

4. परियोजना क्षेत्र का पता (के पते) - (कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 135, अनुसूची VII और उनके संशोधनों के अनुसार)
Project addresses the area(s): (as per Section 135, Schedule VII of Companies Act, 2013 & amendments thereof):

i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना तथा सफाई को संवर्धित करने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थापित स्वच्छ भारत कोष के प्रति योगदान देने सहित साफ सफाई को बढ़ावा देना;
Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care including preventive health care and sanitation, including contribution to the Swachh Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water;

ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, वृद्धों तथा विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाते हुए तथा आजीविका वर्धन परियोजनाओं में विशेष शिक्षा एवं नियोजन प्रदान करने सहित शिक्षा को संवर्धित करना;
Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and differently abled and livelihood enhancement projects;

iii) लिंग समानता को संवर्धित करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए आवास-गृह एवं छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रमों की स्थापना करना, दिन में देखभाल केन्द्रों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जा रही असमानताओं को कम करने के उपाय करना;
Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans, setting up old age homes, day care centers and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;

iv) गंगा नदी के पुनरोद्धार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थापित स्वच्छ गंगा निधि के प्रति योगदान देने सहित पर्यावरणीय निर्वहनीयता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पति और जीव-जंतुओं का संरक्षण, प्राणी कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और मृदा, वायु और जल की गुणता बनाए रखना ।

Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro-forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water, including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga;

v) ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों का जीर्णोद्धार करना, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का संवर्धन एवं विकास सहित प्राकृतिक विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण;
Protection of natural heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art, setting up public libraries, promotion and development of traditional arts and handicrafts;

vi) सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों, युद्धजनित विधवाओं और उनके आश्रितों के हितार्थ उपाय करना; केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) तथा केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं सहित उनके आश्रितों के हितार्थ उपाय करना;
Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents; Central Armed Police Forces (CAPF) and Central Para Military Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widows;

vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त खेलों, पैरालिम्पिक खेलों तथा ओलम्पिक खेलों का संवर्धन करने हेतु प्रशिक्षण;
Training to promote rural sports, nationally recognized sports, Paralympic sports and Olympic sports;

viii) प्रधान मंत्री राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात परिस्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स निधि) या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत एवं कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान देना;
Contribution to the Prime Minister's Relief Fund or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, minorities and women;

ix) (a) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त-पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी या चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए योगदान; तथा
Contribution to incubators or Research and Development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government; and

(b) सरकार द्वारा वित्त-पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.); राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के तहत

संस्थापित स्वशासी निकाय; जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.); विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); भैषज विभाग – आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होमियोपैथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य निकाय जैसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) को अंशदान जो संधारणीय विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को संवर्धित करने पर लक्षित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा में अनुसंधान कार्य करने में लगे हैं।

Contributions to public funded Universities; Indian Institute of Technology (IITs); National Laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy (DAE); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Department of Pharmaceuticals; Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani,_Siddha and Homoeopathy (AYUSH); Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defense Research and Development Organisation (DRDO); Indian Council of Agricultural Research (ICAR); Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs).

x) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ / Rural development projects;

xi) गंदी बस्ती क्षेत्र का विकास / Slum area development.

स्पष्टीकरण - इस मद के प्रयोजनार्थ, पदबंध 'गंदी बस्ती क्षेत्र' का अर्थ ऐसे क्षेत्र से होगा जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या वर्तमान में प्रचलित किसी विधि के तहत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो ।

Explanation - For the purpose of this item, the term 'slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force.

xii) आपदा प्रबंधन जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण संबंधी कार्य शामिल हैं।
Disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.

5. परियोजना का संक्षिप्त विवरण-
Brief description of the Project:

6. अधिकार क्षेत्र (संक्षेप में बताएं)-
Justification (Explain briefly):

7. प्रभाव की परिकल्पना / Impact envisaged:
(अनुलग्नक-1 के अनुसार विवरण दें)

(to be furnished as per Enclosure-1)

8. परियोजना का प्रकार- चालू (बहुस्तरीय) / चालू परियोजना के अलावा (एकल-स्तरीय)
Type of Project: On-going (Multi-year) / Other than on-going (single-year)

9. कार्यान्वयन (संक्षेप में बताएं) / Implementation (Explain briefly):

9.1 कार्यान्वयन की कार्य-प्रणाली-
Methodology of Implementation

9.2 आवश्यक आंतरिक संसाधन (जनशक्ति, अवसंरचना, कार्पोरेट सहयोग आदि)
Internal Resources required (Manpower, infrastructure, corporate support etc.)

9.3 आवश्यक बाह्य संसाधन (सरकार संस्थानों / एनजीओ के साथ साझेदारी, सांविधिक अनापत्ति / समर्थन आदि- विस्तृत जानकारी दें)
External Resources required (Partnerships with Govt. Institutions/NGOs, statutory clearances / support etc. – describe in detail)

10. परियोजना की समय-सीमा के साथ कार्यान्वयन की अनुसूची-
(परियोजना को पूरा करने का अनुमानित समय - मीलपत्थरों के साथ)
Implementation schedule with Project Timeframe:
(approx. time to complete the Project – with milestone chart)

11. पणधारकों को अनुलाभ (संक्षेप में बताएं)-
Benefits to the stakeholder (Explain briefly):

a) मूर्त
Tangible

b) अमूर्त
Intangible

12. ब्रांड निर्माण और कार्पोरेट छवि –
(अनुलग्नक-2 के अनुसार जानकारी दें)
Brand building & Corporate Image:
(to be furnished as per Enclosure-2)

13. वित्तीय आवश्यकताएं (रु. लाख में)-
(मदवार लागत विवरण देते हुए एक अलग कार्य-पत्र संलग्न करें)
Financial Requirements (Rupees Lakhs):
(Attach separate worksheet giving itemized cost details)

क्र.सं. **Sl. No**	विवरण **Particulars**	राशि (₹ लाख में) **Amount (in ₹ Lakh)**
1	परियोजना की वास्तविक लागत Actual Project Cost	

2	डिज़ाइन, आवश्यकता आंकलन आदि के लिए बाहरी परामर्श प्रभार की लागत Cost towards External Consultancy charges for Design, Need Assessment etc	
3	डिज़ाइन, कार्यान्वयन, मानीटरी और मूल्यांकन (आंतरिक) से संबंधित यात्रा खर्च Travel Expenditure envisaged towards Design, Implementation, Monitoring & Evaluation (Internal)	
4	कर, यदि लागू हो Taxes, as applicable	
5	परियोजना की कुल लागत (₹ लाख में) **Total Project Cost (in ₹ Lakh)**	

14. वर्ष-वार निधि की आवश्यकता (रु. लाख में) –

Year-wise Fund Requirement (Rupees Lakhs):

यूनिट एचआर / सीएसआर प्रमुख
UNIT HR/CSR HEAD

यूनिट प्रमुख / **UNIT HEAD**

प्रति- प्रमुख (एचआर)/सीओ
To: Head (HR)/CO

कार्यकारी निदेशक द्वारा
Thro': Functional Director

संलग्नक – 1 / Enclosure-1

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHARAT ELECTRONICS LIMITED

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व, एचआर/सीओ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, HR/CO

यूनिट / कार्यालय-
UNIT / OFFICE:

प्रस्ताव के चरण पर संभावित प्रभाव का आकलन करने का प्रारूप
FORMAT FOR ASSESSING LIKELY IMPACT IN THE PROPOSAL STAGE:

क्र.सं. S. No	विवरण / PARTICULARS	यूनिट की प्रतिक्रिया / UNIT RESPONSE	
1	सीएसआर परियोजना का शीर्षक CSR Project Title		
2	परियोजना का स्थान Project Location		
3	अनुसूची VII के तहत क्षेत्र Sector under Schedule VII		
4	आशयित हितलाभी Intended Beneficiaries		
5	सामाजिक प्रभाव डालने वाली परिमापियाँ SOCIAL IMPACT PARAMETERS	(i) सांस्कृतिक बदलाव Cultural change	हाँ / नहीं Yes/No
		(ii) अत्याधुनिक अवसंरचना State-of-art infrastructure	हाँ / नहीं Yes/No
		(iii) सीखने का अनुकूल परिवेश Conducive learning environment	हाँ / नहीं Yes/No
		(iv) लोक स्वास्थ्य में सुधार Improvement in public health	हाँ / नहीं Yes/No
		(v) जीवन स्तर में सुधार Improved quality of Life	हाँ / नहीं Yes/No
		(vi) अन्य- स्पष्ट करें / Others: Specify	
6	आर्थिक प्रभाव डालने वाली परिमापियाँ ECONOMIC IMPACT PARAMETERS	(i) वर्धित नियोजनीयता Enhanced Employability	हाँ/नहीं Yes/No
		(ii) राजस्व सृजन Revenue generation	हाँ/नहीं Yes/No

		(iii) गरीबी उन्मूलन Poverty alleviation	हाँ/नहीं Yes/No
		(iv) अन्य- स्पष्ट करें / Others: Specify	
7	पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाली परिमापियाँ ENVIRONMENTAL IMPACT PARAMETERS	(i) नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग Utilization of renewable energy sources	हाँ/नहीं Yes/No
		(ii) हवा, पानी, मिट्टी की गुणता बनाया रखना / बढ़ाना Maintaining / Enhancing quality of air, water & soil	हाँ/नहीं Yes/No
		(iii) जैव विविधता / Biodiversity	हाँ/नहीं Yes/No
		(iv) संतुलित परितंत्र / Balanced Ecosystem	हाँ/नहीं Yes/No
		(v) अन्य- स्पष्ट करें / Others: Specify	

संस्तुति / **RECOMMENDATION:**

यूनिट सीएसआर / एचआर प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Unit CSR/HR Head

दिनांक / **Date:**

संलग्नक – 2 / Enclosure-2

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड / BHARAT ELECTRONICS LIMITED

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व, मा.सं./काओं CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, HR/CO

यूनिट / कार्यालय-
UNIT / OFFICE:

ब्रांड निर्माण और कार्पोरेट छवि के लिए प्रारूप (प्रस्ताव के चरण में)-
FORMAT FOR BRAND BUILDING & CORPORATE IMAGE (proposal stage):

क्र.सं S.No	विवरण / PARTICULARS	यूनिट की प्रतिक्रिया / UNIT RESPONSE	
1	सीएसआर परियोजना का शीर्षक CSR Project Title		
2	परियोजना का स्थान Project Location		
3	अनुसूची VII के तहत सेक्टर Sector under Schedule VII		
4	क्या परियोजना ने निर्धारित उद्देश्य पूरा किया? Does the Project address a Cause?	(i) सामाजिक Social	हाँ / नहीं Yes/No
		(ii) राष्ट्रीय National	हाँ / नहीं Yes/No
		(iii) अंतरराष्ट्रीय International	हाँ / नहीं Yes/No
		विस्तृत जानकारी दें / Specify details:	
5	प्रतिभागी / देखने वाले / सामविष्टि / हितलाभियों की सं. Footfall / Viewership / Coverage / No. of beneficiaries		
6	ब्रांड निर्माण की रणनीति- BRAND BUILDING STRATEGY:	(i) बीईएल की नामशैली (लोगो) के साथ आर्च बनाना Erecting Arch with BEL Logo	हाँ / नहीं Yes/No
	(a) बीईएल लोगो का प्रदर्शन परियोजना के स्थान में प्रमुख / दृश्य स्थानों पर	(ii) बीईएल लोगो के साथ होर्डिंग बनाना और सीएसआर गतिविधियों का विवरण Erecting Hoardings with BEL Logo & details of CSR activities	हाँ / नहीं Yes/No

	प्रमुखता से किया जाएगा । Display of BEL Logo shall be done prominently at prime / visible locations in the project site. **(b)** सिविल संरचनाओं/आर्च/होर्डिंग्स पर बीईएल लोगो आकर्षण का केंद्र हो । BEL Logo displayed prominently in the right place on civil structures / arches / hoardings shall be the cynosure of all eyes. **(c)** प्रदर्शित बीईएल लोगो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा । BEL Logo displayed shall be conspicuously visible from a distance. **(d)** समुदाय/सरकारी निकाय / अन्य पणधारकों के साथ जुड़ाव Engagement with Community / Govt. bodies / other stakeholders	(iii) सिविल अवसंरचना पर सीमेंट में बीईएल लोगो उकेरना Engraving BEL Logo in cement on civil structure	हाँ / नहीं Yes/No
		(iv) ग्रेनाइट/स्टैनलेस स्टील में बोर्ड का उद्घाटन Inauguration Board in Granite / Stainless Steel	हाँ / नहीं Yes/No
		(v) एल्यूमिनियम कंपोज़िट पैनल (एसीपी) बोर्ड में बीईएल लोगो BEL Logo on Aluminium Composite Panel (ACP) Boards	हाँ / नहीं Yes/No
		(vi) फर्नीचर / उपकरण में बीईएल लोगो के साथ स्टैनलेस स्टील लेबल जड़ना Stainless Steel Label with BEL Logo riveted on Furniture / Equipment	हाँ / नहीं Yes/No
		(vii) बीईएल द्वारा समर्पित सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित बीईएल लोगो BEL Logo in-built into the Software donated by BEL	हाँ / नहीं Yes/No
		(viii) **प्रिंट मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति** प्रिंट मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति Press Release in Print Media	हाँ / नहीं Yes/No
		➢ टीवी चैनल / TV Channels ➢ सोशल मीडिया / Social Media (ट्विटर हैंडल/फेसबुक पेजTwitter Handle / Facebook page)	हाँ / नहीं Yes/No हाँ / नहीं Yes/No
		(ix) अन्य - स्पष्ट करें / Others: Specify	
7	कार्पोरेट छवि की अनुभूति Perception of Corporate Image	(i) वर्धित कार्पोरेट छवि Enhanced Corporate Image	हाँ / नहीं Yes/No
		(ii) सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी	हाँ / नहीं

		Socially Responsible Company	Yes/No
		(iii) पर्यावरण हितैषी कंपनी Environment friendly company	हाँ / नहीं Yes/No
		(iv) अन्य-स्पष्ट करें / Others: Specify	

संस्तुति / **RECOMMENDATION:**

यूनिट सीएसआर / एचआर प्रमुख के हस्ताक्षर
Signature of Unit CSR/HR Head

दिनांक / **Date:**